KIND ATTN: Mr SATISH GANESH
DIG(P/G)

(13)

फैक्स/महत्वपूर्ण

दूरभाष : 0522-2287242
फैक्स : 0522-2287241

मुख्यालय राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश।

पंचम तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

पत्र सं0–पीआर–1–5/2014(3021) दिनांक मई 12 2014

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

कृपया अपने मुख्यालय के पत्रांकःबीस–147–2014 दिनांक 05.05.2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पुलिस की विभिन्न इकाईयों द्वारा क्या–क्या कार्य किये जा रहे हैं, के सम्बन्ध में बुकलेट प्रकाशित कराये जाने हेतु सामग्री/सूचना फैक्स एवं उसकी हार्डकापी/सी0डी0 उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– अवगत कराना है कि वर्ष 1854 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने रेलवे क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा रेल सामान की सुरक्षा आदि के लिये कुछ स्टाफ की नियुक्ति की जिसे पुलिस कहा जाता था। यह सरकारी पुलिस नहीं थी और कम्पनी के अधीन कार्य करती थी । वर्ष 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम बन जाने पर इस बल का नया नाम राजकीय रेलवे पुलिस पड़ा। राजकीय रेलवे पुलिस सामान्य पुलिस बल की एक स्वतंत्र इकाई है। उत्तर प्रदेश राजकीय रेलवे पुलिस का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे के 9500 किलोमीटर के अन्तर्गत 922 रेलवे स्टेशनों पर फैला हुआ है। वर्तमान में 05 रेलवे जोन्स की रेल गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में रेलवे विभाग के क्षेत्रान्तर्गत में 12 मण्डल रेल प्रबन्धक के कार्यालय आते हैं, इनमें से 09 मण्डल रेल प्रबन्धक के कार्यालय प्रदेश के अन्दर तथा 03 मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय प्रदेश के बाहर के हैं। यह शाखा पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक के नियन्त्रण में कार्य करती है। उत्तर प्रदेश राजकीय रेलवे पुलिस 02 जोन एवं 02 परिक्षेत्र में विभाजित है, जिनके मुख्यालय इलाहाबाद एवं लखनऊ में स्थापित है। रेलवे जोन के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक रेलवे एवं परिक्षेत्र के प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे हैं। इलाहाबाद जोन/परिक्षेत्र में 03 अनुभाग क्रमशः आगरा/इलाहाबाद/झांसी है तथा लखनऊ जोन/परिक्षेत्र में 03 अनुभाग क्रमशः लखनऊ/गोरखपुर/मुरादाबाद है। अनुभाग स्तर पर प्रभारी अधिकारी पुलिस अधीक्षक रेलवे हैं। थाना/चौकियों के निकट पर्यवेक्षण के उद्देश्य से जी0आर0पी0 के समस्त अनुभागों में पुलिस अधीक्षक रेलवे के अधीन कुल 13 पुलिस उपाधीक्षक की नियुक्ति की गयी है।

<u>राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण :–</u>

जीआरपी परिक्षेत्रीय कार्यालय/अनुभागीय कार्यालय एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय जनपदीय पुलिस कार्यालयों के अनुसार ही कार्य सम्पादन का अधिकार प्रदत्त है। इस इकाई में पूरे उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत 65 थाने एवं 43 चौकियां स्थापित हे, जिनके लिए नागरिक पुलिस के निरीक्षक–15, उ0नि0–360, उपनिरीक्षक–366, हे0कान्स0–581, कान्स0–4029, यातायात कान्स–17, कान्स0 चालक–89 तथा लिपिक संवर्ग में

निरीक्षक(एम)/डीएसपी(एम)—03, उपनिरीक्षक (एम)—35, सहा0उपनिरीक्षक(एम)—88 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—153 एवं अभियोजन कार्य हेतु ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी—01, अभियोजन अधिकारी—12 के पद स्वीकृत है, जिनका मुख्य कार्य रेलवे अपराधों की रोकथाम, स्टेशन/प्लेटफार्म पर पेट्रोलिंग, ट्रेन स्कोर्ट डियूटी कानून व्यवस्था बनाये रखना, अपराधों का पंजीकरण, विवेचना एवं अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही इत्यादि करना है।

राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे परिसर के भीतर विशेष रूप से प्लेटफार्मों, टिकट घरों, मुसाफिरखानों, प्रवेश करने व निकलने वाले द्वारों तथा संकट काल में स्टेशन अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से जहां कहीं अपेक्षित हो मुसाफिरों के यातायात का नियन्त्रण कार्य किया जा रहा है।

राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा स्टेशन की सीमाओं के भीतर वाहन तथा अन्य यातायात नियन्त्रण, स्टेशन पर रूकने वाली सवारी गाड़ियों में व्यवस्था बनाये रखने का कार्य किया जा रहा है।

राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा उत्पात करने के दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी, संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को हटाना और स्टेशन परिसर में भीख मांगने वाले व्यक्तियों को न आने देने, जिनकी मृत्यु गाड़ी या स्टेशन परिसर में हो जाय उनकी लाश को हटाने, पंचनामा भरने और बीमार यात्रियों को अस्पताल ले जाने, रेल पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता करने तथा यात्री ट्रेनों एवं रेलवे परिसर के अन्तर्गत जहरखुरानी, डकैती, लूट, चोरी व अन्य प्रमुख अपराधों पर नियन्त्रण, अनावरण एवं अन्वेषण आदि का कार्य किया जा रहा है।

राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु यात्रा को सुरक्षित बनाने के उददेश्य से प्रत्येक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर महिला बोगियों की चेंकिंग कराई जा रही है एवं महिला बोगियों में यात्रा कर रहे पुरूष यात्रियों को महिला बोगियों से हटाया जा रहा है।

महिला यात्रियों मे आत्मविश्वास जागृत करने व अपराध होने पर तत्काल सम्बन्धित को सूचना देने के उददेश्य से महिला यात्रियों में निर्भय कार्ड का वितरण कराया जा रहा है। निर्भय कार्ड वितरण का मूल आशय यह है कि किसी भी घटना की स्थिति में तत्काल महिला यात्रियों तक सहायता पहुंचे।

राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा प्रत्येक महत्वपूर्ण ट्रेनों में स्कोर्ट किया जा रहा है ताकि ट्रेनों में अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण रखा जा सके।

जहरखुरानों/चोरों से बचाव के लिए जीआरपी के प्रत्येक थाने द्वारा अपनी पी0ए0 सिस्टम/लाउड हेलर के माध्यम से रेल यात्रियों को जागरूक किया जाता है।

राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा दिल्ली से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टापर डियूटी नई दिल्ली एवं पुरानी दिल्ली पर कराई जा रही है जिससे दिल्ली से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जीआरपी के सभी अनुभागों में सर्विलांस सेल गठित कर दिया गया है तथा मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद अनुभाग में पूर्ण कालिक कम्प्यूटर लैब स्थापित किये गये है, जिससे निरन्तर कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण मिलता रहे।

राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय स्थित नियन्त्रण कक्ष में हेल्प लाइन को और सुदृढ़ किया गया है इस समय मुख्यालय के नियन्त्रण कक्ष में 08 फोन कार्य कर रहें है जो निम्नवत् है:—

0522—2287241, 2288103, 2288104, 2288105 एवं 9454402544, 9794833811, 9794866946, 9919099190।

राजकीय रेलवे पुलिस उ0प्र0 अन्तर्गत जीआरपी के प्रत्येक थाने/रिपोटिंग चौकियों पर प्रशिक्षित जुवेनाइल पुलिस आफीसर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश के सभी अनुभागों के समस्त थाने/चौकियों पर नियुक्त उ0नि0/मुख्य आरक्षी/आरक्षी को जुवेनाईल आफीसर का विषयक प्रशिक्षण प्रदान कराकर उन्हें राजकीय रेलवे पुलिस के थाने/चौकियों पर नियुक्त किया गया है।

विभिन्न प्रकार की रैली, धरना प्रदर्शन के अवसर पर विभिन्न ट्रेनों से आने—जाने वाले यात्रियों/कार्यकर्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था आदि का समुचित प्रबन्ध करने का कार्य जीआरपी द्वारा किया जाता है।

राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा ट्रेनों से यात्रा करने वाले वीआईपी/वीवीआईपी महानुभावों की सुरक्षा व्यवस्था आदि से संबंधित कार्यों का समुचित प्रबन्ध करने का कार्य जीआरपी द्वारा किया जाता है।

अनुभागों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण ट्रेनों में आर0पी0एफ0 एवं जी0आर0पी0 के संयुक्त स्कोर्ट ट्रेनों की व्यवस्था की गयी है तथा प्लेटफार्म डियूटी लगाई जा रही है। ट्रेनों की आकस्मिक चेकिंग कराकर संदिग्ध एवं आसामाजिक तत्वों की धरपकड़ करायी जाती है। रेलवे स्टेशनों व विभिन्न ट्रेनों में हैण्डबिल/स्टिकर लगाकर व फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से यात्रियों को सतर्क रहने हेतु सावधान किया जाता है। विभिन्न रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में अपराध कारित करने वाले अपराधियों का फोटो एलबम बनाया गया है, ताकि पीड़ित यात्रियों द्वारा तत्परता से पहचान करवाकर कार्यवाही की जा सके। जीआरपी द्वारा अपराध नियत्रंण हेतु सकिय अपराधियों के विरूद्ध समय—समय पर अभियान भी चलाया जाता है। "सीसीटीवी" द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जाती हैं। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के आवगमन के समय "लाउडहेलर" व रेलवे के "पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम" के माध्यम से प्रसारण करते हुए यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने हेतु सतर्क किया जाता है। सीमावर्ती प्रदेशों से भी अपराधियों के सम्बन्ध में सूचनाओं का आदान—प्रदान करके आवश्यक कार्यवाही कराई जाती है। अवांछनीय तत्वों के विरूद्ध नियमानुसार निरोधात्मक

कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। ट्रेनों में स्कोर्ट डियूटी आदि में चलने वाले कर्मियों का ब्रेथ एनालाइजर द्वारा मदिरा सेवन किये जाने का औचक निरीक्षण एवं महिला कोचों में एवं महत्वपूर्ण ट्रेनों की आकस्मिक रूप से वीडियोग्राफी की जाती है। महत्वपूर्ण नामित /प्रकाश में आये अपराधियों का सत्यापन भी कराया जा रहा है। ट्रेनों की नियमित रूप से थाना/चौकी प्रभारी द्वारा प्रतिदिन तथा पुलिस अधीक्षक रेलवे एवं अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा ट्रेन व रेलवे स्टेशनों पर आकस्मिक चेकिंग की जा रही है।

12/5/14

(वीरेन्द्र कुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे,
उ0प्र0 लखनऊ।